रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1186] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2011/ज्येष्ठ 30, 1933
No. 1186] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2011/JYAISTHA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2011

का.आ. 1424(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 और का.आ. 1192 (अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2001 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के 182.040 कि.मी. 316.00 कि.मी. और 332.600 कि.मी.-349.000 कि.मी. (तमिलनाडु/केरल सीमा-कोच्ची सेक्शन) और 316.000 कि.मी. 332.600 कि.मी. (अलुवा-अंगामली सेक्शन) तक के भू-खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के 270.000 कि.मी. से 316.700 कि.मी. तक के खंड को चार लेन का बनाने डिजाइन, संरचना, वित्त, संन्निर्माण, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण तथा 316.700 कि.मी. से 342.00 कि.मी. (थीरूसर-अंगामली-इदापल्ली सेक्शन), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है), तक के खंड को सुधार, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय डोर नम्बर-1, 80/40एसपी/58-65, शिल्पा होम्स लेआउट, गच्चीबाउली, हैदराबाद, में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षरण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किये गये करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रवर्ग पर उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस दरों पर फीस उद्ग्रहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रुपए प्रति कि. मी.)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)	2.25

टिप्पण :— 1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(i) ''वास्तविक फीस'' से उक्त खंड के उपयोक्ताओं से प्रभारित निम्नलिखित के आधार पर वास्तविक फीस अभिप्रेत है:—

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई (कि.मी.) में, और

(ख) उपरोक्त सारणी में दर्शित आधार की दर पर फीस और जो पांच रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी;

(ii) ''वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त खंड के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त खंड के पूरा होने पर, किसी स्वतंत्र सलाहकार द्वारा यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अर्नतिम पूर्णता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारम्भ होता है।

(iii) कार या जीप या वैन के लिए संदेय फीस के संबंध में "स्थानीय यातायात" से तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार के यातायात से है :—

(क) ''स्थानीय यातायात प्रवर्ग I'' से निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित हैं—

(1) ऐसे ग्रामों, कस्बों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा पथकर प्लाजा के दस कि.मी. के घेरे के भीतर आती है;

(2) पथकर प्लाजा के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयां;

(3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी, या जिनके कार्यालय पथकर प्लाजा के दस कि. मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं; और

(4) स्वनियोजित व्यक्ति या व्यवसायी जिनका कार्य स्थल पथकर प्लाजा से दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है;

(ख) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II" से निम्नलिखित प्रवर्ग में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित हैं—

(1) ऐसी ग्रामों, कस्बों या शहरों के निवासी जिनकी सीमाएं फीस संग्रहण प्लाजा (पथकर प्लाजा) से दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती हैं;

(2) फीस संग्रहण प्लाजा (पथकर प्लाजा) से दस कि. मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित या स्थापन औद्योगिक इकाइयां हैं;

(3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी या जिनके कार्यालय जो फीस संग्रहण प्लाजा (पथकर प्लाजा) से दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित हैं;

(4) स्वनियोजित व्यक्ति या व्यवसायी जिनका कार्यस्थल फीस संग्रहण प्लाजा (पथकर प्लाजा) से दस कि. मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर है।

(iv) ''समाप्ति की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है;

(v) शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, में हैं;

2. फीस का संग्रहण पथकर प्लाजा 278.00 कि.मी. पर 64.940 कि.मी. के लिए किया जाएगा।

3. फीस की वास्तविक दर की संगणना और प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी उसका पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:—

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{थो.की.सू.-ख}}{\text{थो.की सू.-क}} \times \text{उक्त खंड की लम्बाई (कि.मी. में)}$$

जहां

- डब्ल्यू पी आई = ए जून 1997 (131.4) को विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है।
- डब्ल्यू पी आई = बी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है।
- डब्ल्यू पी आई से कार्यालय आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या उसको प्रतिस्थापित करने वाला कोई अन्य सूचकांक अभिप्रेत है।

4. जब किसी यान को किसी दिन उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही फेरे में पथकर प्लाजा को पार करते समय उक्त सारणी के स्तंभ तीन में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक फेरों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे। यदि उसी यांत्रिक यान उक्त खंड का पूरे मास में निरंतर और बार-बार या इसके परे भी प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी के स्तंभ तीन में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों को संदेय करके मासिक पास प्राप्त कर सकेगा।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् :—